

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

No. 69]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 125(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में महानिदेशक, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, महानिदेशक, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची के स्तंभ 13 में, "प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 17-24/2009-एम-1(भाग)]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 721(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2016

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Director General, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2009, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Director General, Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Director General, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2009, in column 13, for the entry "Principal Secretary to the Prime Minister", the "Additional Principal Secretary to the Prime Minister" shall be substituted.

[F. No. 17-24/2009-M.I (Part)]

SANJIV MITTAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 721(E), dated the 5th October, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 126(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संस्कृति मंत्रालय, महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची के स्तंभ (12) में, "प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 17-24/2009-एम-1(भाग)]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 79(अ), तारीख 5 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Culture, Director-General, National Gallery of Modern Art, New Delhi Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Director-General, National Gallery of Modern Art, New Delhi Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Culture, Director-General, National Gallery of Modern Art, New Delhi Recruitment Rules, 2014, in column 12, for the entry “Principal Secretary to the Prime Minister”, the “Additional Principal Secretary to the Prime Minister” shall be substituted.

[F. No. 17-24/2009-M.I (Part)]

SANJIV MITTAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 79(E), dated the 5th February, 2014.